संख्या- 2/2017/4566/ 71-आयुष-1-2017-101/2010टी0सी0

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 19 जनवरी, 2017

विषय- राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी के कालेज, चिकित्सालय एवं महिला हॉस्टल के वृहद निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 एवं आपके पत्र संख्या-153/318/2016-17 योजना, दिनांक-02.09.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-4305/71-2-2010-101/2010 टी0सी, दिनांक-16-09-2010 द्वारा मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 3540.22 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष धनराशि रू0 708.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति, शासनादेश संख्या-2563/71-आयुष-1-2011-101/2010 टी0सी, दिनांक-08-04-2011 द्वारा धनराशि रू0 1416.088 लाख की वित्तीय स्वीकृति, शासनादेश संख्या-2851/71-आयुष-1-2012-101/2010 टी0सी, दिनांक-11-09-2012 द्वारा धनराशि रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति, शासनादेश संख्या-2670/71-आयुष-1-2013-101/2010 टी0सी, दिनांक-31-05-2013 द्वारा धनराशि रू0 739.121 लाख की वित्तीय स्वीकृत, शासनादेश संख्या-205/71-आयुष-1-2015-101/2010 टी0सी, दिनांक-25-02-2015 द्वारा पुनरीक्षित लागत धनराशि रू0 3851.98 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष धनराशि रू0 296.172 लाख की वित्तीय स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या- 3741/71-आयुष-1-2015-101/2010 टी0सी, दिनांक-06-11-2015 द्वारा पुनः पुनरीक्षित लागत धनराशि रू0 4229.06 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष धनराशि रू0 358.23 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रायोजना की पुनः पुनरीक्षित लागत धनराशि रू0 4229.06 लाख (रूपये बयालीस करोड उन्तीस लाख छः हजार मात्र) के सापेक्ष अन्तिम किश्त के रूप में अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 211.449 लाख (रूपये दो करोड ग्यारह लाख चौवालीस हजार नौ सौ मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उक्त पुनः पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रधानाचार्य द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था को दिया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा, जिस कार्य/मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य की होगी।

(6) प्रश्नगत कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(7) उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2016 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- 33 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष- 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 05-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल के मानक मद, 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया

डा0 अनिता भटनागर जैन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2/2017/4566(1)/71-आयुष-1-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, वराणसी।

(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी।

(6) निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

(7) परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-24, सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम, उ0प्र0 वाराणसी।

(8) चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ऋषिकेश दुबे
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।